

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
 गुरजोवन सिंह बनाम साहब सिंह आदि  
 किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 07 सन् 2024  
 जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/178  
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल  
हुकम

नम्बर व  
तारीख अहकाम  
जो इस हुकम  
की तामील में  
जारी हुए

06.2024

प्रार्थी गुरजोवन सिंह पुत्र प्रदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 33 एच के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा नम्बर 50 की 3.239 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

*Int*

9/24

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी को कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विनियमों को ध्यान में रखते हुए नम्बर से काट कर दाखिल दफ्तर में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

